

वित्तीय सुधार - कल और आज*

रघुराम जी. राजन

मैं श्री शेखर शाह को एनसीईआर में आयोजित सी.डी. देशमुख व्याख्यान के अवसर पर मुझे भाषण देने के लिए आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद देता हूँ। सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, आईसीएस अधिकारी थे और सही मायने में आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्व थे। वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था जो बैंक के इतिहास में सबसे कम उम्र के गवर्नर थे। बाद में उन्होंने केंद्रीय मंत्री मंडल में वित्तमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसी समय वे एनसीईआर के शासी निकाय के संस्थापक सदस्य भी बने थे। सैद्धांतिक मामले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद उन्होंने कई पदों पर कार्य किया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में, दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के संस्थापक-सदस्य एवं आजीवन अध्यक्ष के रूप में। उनके अनेक योगदानों में एक यह भी था कि उन्होंने ब्रेटन वुड्स की ऐतिहासिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में भाग लिया था और उसमें सार्थक हस्तक्षेप किया था। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया था। सर सी.डी. देशमुख का 1982 में देहावसान हो गया।

सी.डी. देशमुख संस्था के निर्माता थे। आज मैं उसी संस्था भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यवाहक हूँ जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। मैं उन्हें आश्चर्य करता हूँ कि रिजर्व बैंक अच्छी अवस्था में है। ऐसे देश में जहाँ संस्थाओं की गुणवत्ता पर काफी समय दिया जाता है, वहीं हमारे सहयोगियों की निष्ठा, क्षमता तथा अभिप्रेरणा से रिजर्व बैंक सदैव सुदृढ़ बना रहा है। लेकिन आज की दुनिया की हालत बहुत सुकून देने वाली नहीं है। आज भी औद्योगिक राष्ट्र, कुछेक को छोड़कर, विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के हमारे सभी साथी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चीन में भी विकास के बढ़ने एवं घटने की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, भारत अशांति के सागर में अपेक्षाकृत एक शांत द्वीप प्रतीत होता है। ऐसा क्या है जो यहां अलग है और हम यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि यह स्थिति बनी रहेगी?

* डॉ रघुराम जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जनवरी, 2016 को एनसीईआर, नई दिल्ली में दिया गया सीडी देशमुख व्याख्यान।

ब्राजील से सबक?

शायद ब्राजील से एक हितकारी सबक हासिल होता है। केवल कुछ वर्ष पूर्व ही, पूरा विश्व इस देश के संपन्न लोकतंत्र, इसके तीव्र आर्थिक विकास और असमानता को दूर करने में उसके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना कर रहा था। 2010 में इस देश की वृद्धि 7.6 प्रतिशत थी और उनके यहां एक विशाल तेल भंडार की खोज हुई जिसे उनके राष्ट्रपति लूला ने 'लॉटरी टिकट जीतने' से अभिहित किया था। उसके बावजूद इस देश की वृद्धि दर पिछले वर्ष घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई और उसके कर्ज की हालत घटकर कबाड़ में तबदील हो गई। इस वर्ष भी विकास की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आखिर, गलत क्या हुआ?

यह थोड़ा विरोधाभासी प्रतीत होता है कि ब्राजील ने बहुत तेजी से विकास करने की कोशिश की थी। 7.6 प्रतिशत की जो वृद्धि हुई थी वह विश्व के वित्तीय संकट के बाद दिए गए अत्यधिक वित्तीय प्रोत्साहन के कारण थी। न्यूयार्क टाइम्स का कहना है कि विकास-दर को ऊंचा रखने के प्रयास में, केंद्रीय बैंक पर ब्याज दर कम करने का दबाव डाला गया था, जिससे ऋण की होड़ मच गई और ग्राहकों पर जरूरत से ज्यादा बोझ बन गया और वे अब उसकी अदायगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा, ब्राजील सरकार ने विकास बैंक को बहुत अधिक निधि उपलब्ध करा दी जिससे कारपोरेशंस को बहुत ही रियायती दर पर ऋण मिलने लगे। कुछ उद्योगों को कर में छूट दी गई जबकि गैसोलीन और ब्राजील के मूल्यों को नियंत्रित कर दिया गया था जिनके कारण सरकारी क्षेत्र की फर्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पेट्रोब्रास, जो एक राष्ट्रीय तेल कंपनी है, जिसे तेल की ड्रिलिंग में भारी निवेश करना था, वह उसके बजाय भ्रष्टाचार के घोटाले का शिकार हो गई। यहां तक कि सरकारी पेंशन का मामला ज्वलंत होकर विराट बन गया, बजट घाटा बढ़ गया और उन्हें कम करने की राजनैतिक सहमति महज मायावी बनकर रह गई। 2015 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति दोहरे अंक तक पहुंच गई।

जहां ब्राजीलियन प्राधिकारी इस स्थिति से निपटने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वहीं हमें उनको हुए अनुभवों से प्राप्त होने वाले सबक को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि अत्यधिक वित्तीय प्रोत्साहन के साथ हम तेजी से विकास कर लें, जैसाकि हमने 2010 और 2011 में किया था, लेकिन उसका खमियाजा यह भुगतना पड़ता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, घाटा अधिक हो जाता है और

¹ 'जैसे ही तेजी धूमिल हुई, ब्राजीलियन हैरत में थे कि गलत क्या हुआ', सायमन रोमेरो, न्यूयार्क टाइम्स, 11 सितंबर, 2015.

2013 एवं 2014 में वृद्धि दर कम हो जाती है। यह सच है कि आज भारत उस तरह की स्थिति में नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था की तंगहाली को देखते हुए और दो लगातार सूखे की स्थिति में से किसी ने भी हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्व में धराशायी कर दिया होता, किंतु, सरकार का इस बात का बड़ा श्रेय है कि हमारी विकास दर 7 प्रतिशत है, मुद्रास्फीति कम है और चालू खाता घाटा कम है। लेकिन यह ऐसा समय है जब हमें अतिमहत्वाकांक्षी नहीं होना है।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता

ब्राजील के अनुभव से यह पता चलता है कि अस्थिर देश बनने की भारी लागत चुकाने से बेहतर है कि आक्रामक नीतियों के माध्यम से छोटे-मोटे विकास के लाभ उठाए जाएं। हमें वैश्विक उथल-पुथल, व्यापक आर्थिक स्थिरता के इस दौर में अपनी अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति को खतरे में डालने के प्रति पूरी तरह सावधान रहना चाहिए।

सार्वजनिक रूप से यह चर्चा की जा रही है कि क्या राजकोषीय समेकन का शुरू किया कार्य स्थगित कर दिया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि सरकार को अपने निर्णय में अनेक बाध्यताओं को संतुलित करना पड़ता है। लेकिन इस संबंध में कई तथ्य इस प्रकार से संकेत देते हैं :

भारत में राज्य और केंद्र का समेकित राजकोषीय घाटा उन देशों की अपेक्षा सबसे बड़ा है जिनसे हम स्वयं तुलना करना चाहते हैं, केवल इस समय ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो कठिनाई से गुजर रहा है, और जो इस दृष्टि से हमारा प्रतिद्वंद्वी है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक (जिसे वैश्विक निवेशक देखते हैं) हमारा समेकित राजकोषीय घाटा वर्ष 2014 के 7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015 में 7.2 प्रतिशत हो गया है। जिसका मतलब है कि पिछले वर्ष हमने कुल घाटा में विस्तार किया है। राज्य बिजली वितरण कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए अगले राजकोषीय वर्ष में उदय नामक योजना अमल में लाई जाने वाली है, लेकिन यह संभव नहीं है कि राज्य अपने घाटे को कम कर लें, जिससे केंद्र पर और अधिक समायोजित करने का दबाव बढ़ जाता है।

कुछ लोगों का कहना है कि राजकोषीय विस्तार इसलिए जरूरी है कि वृद्धि को आगे बढ़ाया जाए ताकि जीडीपी की तुलना में हमारे कर्ज का अनुपात वापस क्रायम रखने योग्य पथ पर रखा जा सके। यह एक उत्तम तर्क है। आमतौर पर ऐसा लगता है कि सरकार को उधार कम लेना चाहिए, अर्थात् अपना कर्ज कम करने के लिए उसे राजकोषीय घाटा थोड़ा रखना चाहिए। लेकिन यहां सैद्धांतिक रूप से संभावना यह है कि राजकोषीय विस्तार से वृद्धि की जो दर बनेगी वह

इतनी बड़ी होगी कि इसके सामने लिया गया अतिरिक्त ऋण कोई मायने नहीं रखेगा। दुर्भाग्य से, इस हालत में सरकारी खर्च का विकास मल्टीप्लायर काफी छोटा रहने की संभावना है, इसलिए अधिक खर्च से संभवतः कर्ज का गणित गड़बड़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह पूछना अधिक श्रेयस्कर होगा कि क्या वास्तव में निवेश से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है जिसे हम राजकोषीय पथ पर बैठकर खो देंगे?

बेशक, आम आदमी वास्तव में यह परवाह नहीं करता है कि हम समेकन के पथ पर बैठे हैं या नहीं। किंतु बांड बाजार, जहां हमें घाटा तथा उदय राज्य बांडों सहित 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वित्तपोषण करना पड़ता है, इसकी परवाह करता है। राजकोषीय समेकन के मार्ग से हटने का अर्थ है सरकारी बांडों के अर्जन को बढ़ाना, इसमें दो बातें हैं एक तो यह कि बांडों की भारी मात्रा का वित्तपोषण करना और दूसरे भावी समेकन में सरकार की साख को भारी क्षति पहुंचाना। जेम्स कारविले ने कहा था कि “मेरा विचार है कि यदि पुनर्जन्म होता तो मैं राष्ट्रपति या पोप या 400 बेस बाल हिटर के रूप में जन्म लेना पसंद करता। लेकिन अब मैं बांड-बाजार के रूप में वापस आना चाहता हूँ, इसलिए आप हर किसी को भी डरा सकते हैं”। सरकार, बांड-बाजार के विश्वास को समझती है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक रूप से चर्चा करने वाले अर्थशास्त्री शायद ही इस विषय पर पर्याप्त वजन डालते हैं।

बांडों में कम अर्जन का सबसे बड़ा कारण मुद्रास्फीति में गिरावट रही है, और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक का संयुक्त प्रयास रहा है, इसे कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से हवा मिली है। लगातार दो सूखे का मौसम होने के बावजूद यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जो पूर्व में मुद्रास्फीति को दो अंकों तक बढ़ा सकती थी। इस सफलता के बावजूद, हमें सुझाव देती हुई ये आवाजें सुनाई दीं कि मुद्रास्फीति के खिलाफ हमें अपनी लड़ाई ढीली कर देनी चाहिए। मैं यह बात दोहराना चाहूंगा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता काफी हद तक नीति की साख पर टिकी होती है, जिसके प्रति लोगों का यह विश्वास होता है कि नीति अपना मार्ग निर्धारित मार्ग से चरम आवश्यकता की स्थिति में ही बदलेगी, न कि अपनी सुविधा के लिए। यदि हर बार छोटी-मोटी कठिनाई होती है, तो हम गोल-पोस्ट बदल देते हैं, हम बाजारों को यह संकेत देते हैं कि हमें रुके रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यह बात दोहराना चाहता हूँ कि सरकार के साथ मुद्रास्फीति की रूपरेखा में जो सहमति हुई है उससे हटने का हमारा बिलकुल इरादा नहीं है। हमें आशा है कि सरकार

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए मौद्रिक नीति समिति को अधिकार प्रदान करेगी जो इसके ढांचे को और सुदृढ़ता प्रदान करेगी।

समष्टि-आर्थिक स्थिरता ही वह प्लेटफार्म होगा जिस पर हम विकास का निर्माण करेंगे जो हमारे देश में आने वाले अनेक वर्षों तक क्रायम रहेगा, भले ही विश्व कुछ भी करता रहे। वास्तव में आज मुझे 1997-2002 के समय की याद आ रही है जब भारत ने केवल धीमी वृद्धि के लिए परिश्रम और सुधार किया था ताकि उसके बाद के दशक में ऊंची वृद्धि दिखाई दे सके।

इससे पहले कि मैं अपनी मुख्य बात की ओर जाऊं, थोड़ा सा ब्याज दर के बारे में बात करना चाहूंगा। उद्योगपति ऊंची दर के बारे में शिकायत करते हैं जबकि सेवानिवृत्त लोग उनकी जमाराशियों पर कम दर की शिकायत करते हैं। दोनों ही अपने-अपने मामले बढ़ चढ़कर प्रस्तुत करते हैं, हालांकि मैंने कई बार यह बात कही है कि उनके बीच अंतर को समाप्त करने के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को धीरे-धीरे नीचे लाना होगा।

मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताता हूँ। पहले सेवानिवृत्त लोगों से प्रारंभ करता हूँ। एक पत्र में इस प्रकार लिखा हुआ था 'पहले मुझे मीयादी जमा पर 10 प्रतिशत मिला करता था, लेकिन अब मुश्किल से 8 प्रतिशत मिलता है, कृपया बैंक से कहें कि मुझे अधिक दे अन्यथा मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा'। सच्चाई यह है कि आज सेवानिवृत्त लोगों को पहले से ज्यादा मिल रहा है लेकिन वे इसे महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे केवल सांकेतिक ब्याज को देखते हैं जो उन्हें मिल रहा है, वे निहित मुद्रास्फीति की दर को नहीं देखते हैं जो काफी तेजी से कम हो गई है, 10 प्रतिशत से कम होकर 5.5 प्रतिशत हो गई है।

इसे देखने के लिए आइए डोसा-अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। मान लीजिए कि पेंशन पाने वाले को डोसा खरीदना है और प्रारंभ में उसे डोसा 50 रुपए में पड़ता है। मान लीजिए कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति की बचत 1,00,000 रुपए है। वे इस धन से 2000 डोसा खरीद सकते हैं लेकिन वे उस राशि को निवेश करके और अधिक कमाना चाहते हैं।

एक वर्ष के बाद उन्हें उस पर 10 प्रतिशत ब्याज की दर से 10,000 रुपए एवं उनका मूलधन प्राप्त होता है। यदि डोसा की कीमत 10 प्रतिशत बढ़कर 55 रुपए हो जाती है तो वे 10,000 रुपए से लगभग 182 डोसा खरीद सकेंगे।

8 प्रतिशत ब्याज-दर से उन्हें 8000 रुपए मिलते हैं। यदि डोसा की कीमत 5.5 प्रतिशत बढ़ती है तो प्रत्येक डोसा की लागत 52.75 रुपए हो जाएगी और वे अब लगभग 152 डोसा ही खरीद पाएंगे। इस तरह पेंशनभोगी यह साबित करता है कि कम ब्याज मिलने से वह कम मात्रा में खरीद कर पाएगा।

लेकिन एक मिनट रुकिए, उसे उसका मूलधन भी वापस मिलता है और उस राशि को भी मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर समायोजित करना होगा। जब महंगाई बहुत अधिक थी तब उस राशि से 1818 डोसा खरीदे जा सकते थे लेकिन महंगाई कम होने के समय में उसी से 1896 डोसा खरीदे जा सकेंगे। इस प्रकार से अधिक महंगाई के समय में मूलधन एवं ब्याज राशि को मिलाकर कुल 2000 डोसा खरीद सकते थे, जबकि कम महंगाई के समय में उसी राशि से 2048 डोसा खरीदा जा सकता है। यदि डोसा के हिसाब से देखा जाए तो कम महंगाई के समय में उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है।

लंबे समय से यह बात हवा में रही है कि मुद्रास्फीति खामोशी से जान ले लेती है क्योंकि यह पेंशन पाने वालों के मूलधन को खा जाती है, भले ही उन्हें उच्च सांकेतिक ब्याज दर देकर भ्रमित किया जाए कि उन्हें पर्याप्त मुनाफा मिल रहा है। सच यह है कि 10 प्रतिशत मुनाफा और 10 प्रतिशत की महंगाई दर से जमाराशि पर मिलने वाली राशि में से यदि महंगाई घटा दी जाए तो वास्तव में कोई मुनाफा नहीं मिलेगा, यही कारण है कि आप निवेश करने के एक वर्ष बाद भी केवल 2000 डोसा खरीद सकेंगे, जिसे आप निवेश करने से पहले भी खरीद सकते थे। इसके विपरीत, जब महंगाई 5.5 प्रतिशत है लेकिन ब्याज दर आपको 8 प्रतिशत मिल रही है, तो वास्तव में आपको 2.5 प्रतिशत का मुनाफा हो रहा है जिसका अर्थ है 2.5 प्रतिशत अधिक डोसा। मुझे पेंशनभोगियों से हमदर्दी है, वे पहले की तुलना में आज कहीं बेहतर स्थिति में हैं।

अब उद्योगपतियों की बात करते हैं। हाल ही में सम्मेलन में मुझसे एक कारोबारी ने शिकायत की कि उनका कारोबार आयात के कारण बिखरता जा रहा है। वे सुरक्षित ड्यूटी रखने की वकालत कर रहे थे। जब उनसे अनुचित प्रतिस्पर्धा का सुबूत देने की बात कही गई तो उनका कहना था कि उनका राजस्व बिलकुल नहीं बढ़ रहा है, उनके उत्पादन की मात्रा में जो वृद्धि हुई है वह उनके उत्पाद के मूल्य में हुई गिरावट को मुश्किल से समायोजित कर पा रही है। मैंने

उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि इनपुट की लागतें कम होना वरदान है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन मूल्यों से कहीं ज्यादा तेजी से गिरी हैं। वे शिकायती लहजे में किसी तरह सहमत हुए कि हां उससे सहायता मिली है। जब उनसे उनके मुनाफे के बारे में पुछा गया तो उन्होंने अंततः यह स्वीकार किया कि इस बार सबसे अधिक हुआ था। उन्होंने कहा जो भी हो, हमें सुरक्षित ड्यूटी चाहिए क्योंकि विदेशी अपना माल लागत से भी कम कीमत पर भरते जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कारोबारी लोग न्यून उत्पादन मूल्य महंगाई की शिकायत करते हैं, लेकिन जो महंगाई उन्हें सताती है वह उनके लाभ की मुद्रास्फीति है जो बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए गैर-वित्तीय गैर-सरकारी निगमों के दूसरी तिमाही के परिणामों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि जहां राजस्व में एक वर्ष में 8:8 प्रतिशत की गिरावट हुई है, वहीं इनपुट लागतों में 12.4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है, इसलिए सकल मूल्य में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह बढ़कर 10.8 प्रतिशत पहुंच गई है।

बैंकों को साफ-सुथरा बनाना

समष्टि-आर्थिक स्थिरता में स्वस्थ बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में बैंकों के तुलनपत्रों में बहुत से दबावग्रस्त ऋण हैं। कुछ मामलों में, वास्तविकता यह कि मौजूदा ऋणों को काफी हद तक अवलेखन (रिटेन डाउन) करना होगा क्योंकि जब उन्हें स्वीकृत किया गया था तब से अब परिस्थितियां बदल गई हैं (इसमें शामिल हैं - परियोजना में विलंब, लागत का बढ़ जाना, वैश्विक क्षमता का आधिक्य, और मांग के प्रति आशावादी पूर्वानुमान)। यदि ऋण का अवलेखन किया जाता है तो प्रवर्तन और भी इक्विटी लाता है, और अन्य हितधारक जैसे टैरिफ प्राधिकारी या स्थानीय सरकार उससे जुड़ जाती है, उस परियोजना के दुबारा जीवंत होने की पूरी संभावना हो जाती है और प्रवर्तक को प्रोत्साहन मिलता है कि वह अथक प्रयास करके उस परियोजना को वापस पटरी पर लाये। लेकिन इतनी गहन चीर-फाड़ करने के लिए बैंक को आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करना पड़ेगा, जो एक ऐसा धब्बा है जिसे कोई भी बैंक लगने से परहेज करेगा। दूसरा विकल्प यह है कि गहन चीट-फाड़ करने के बजाय बैंक बैंड-सहायता की प्रक्रिया अपना सकते हैं, वे प्रवर्तक को उसके ऋण का भुगतान करने के लिए ऋण 'विस्तार दे सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि ऋण की स्थिति सही है' कर सकते हैं। परियोजना के कर्ज का दायित्व बढ़ता जाएगा,

प्रवर्तक उसमें आगे दिलचस्पी दिखाना बंद कर देगा, और परियोजना का नुकसान और बढ़ जाएगा।

हमारी प्रणाली में अनेक बैंकों ने दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई की है। किंतु कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्हें और सक्रियता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे टूल्स दिए हैं जिनसे बैंकों को दबावग्रस्त ऋणों की पहचान करके उनका समाधान करना है। अब रिजर्व बैंक ने सरकार और बैंकों के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया है ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के बारे में सक्रियता आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, और बैंक के तुलनपत्र में सही तस्वीर दिखाई दे तथा उनमें पर्याप्त रूप से प्रावधान हो। वित्त मंत्री ने संकेत किया है कि वे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आवश्यकता पड़ने पर पूंजी देने की मदद करेंगे। हमारा अनुमान है कि किया गया संकेत पर्याप्त होगा, खासतौर से पूंजी के अन्य स्रोतों सहित जो सामान्य रूप से बैंकों के पास उपलब्ध हैं। हमारे विभिन्न परिदृश्यों से पता चलता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से निजी क्षेत्र के बैंकों को रेगुलेटरी पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतिम बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी इस समय पहचान न की जा सकने वाली पूंजी का पता लगाने पर कार्य कर रहा है जैसे-ऐसी आस्तियां जिनका मूल्य कम लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को बासेल मानदंडों के अनुसार पूंजी की गणना की अनुमति दे सकता है बशर्ते बैंक न्यूनतम सामान्य इक्विटी मानक को पूरा करता हो।

संक्षेप में कहें तो हमारा विश्वास है कि हमारे पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। हो सकता है कि कुछ बैंकों का मुनाफा थोड़े से समय के लिए बाधित रहे, लेकिन एक बार प्रणाली साफ-सुथरी हो जाने के बाद वे आर्थिक विकास में सतत और लाभप्रद तरीके से सहायता देंगे। यदि हम कम सक्रिय रहे तो जैसाकि हमारा बीता हुआ कल एवं विश्व में बैंकिंग का जो इतिहास रहा है उससे यही पता चलता है कि समस्या बढ़ती जाएगी और मुश्किल से संभलेगी।

अब मैं संरचनागत सुधार के बारे में बात करूंगा जिसे हम वित्तीय क्षेत्र में कार्यान्वित करना चाहते हैं, जो विकास को आगे बढ़ाने के लिए समष्टि आर्थिक स्थिरता के प्लेटफार्म का निर्माण करेगा। हम अधिक प्रवेश एवं प्रतिस्पर्धा से कुशलता को बढ़ाएंगे। हमें हमारे वित्तीय बाजार में और अधिक सहभागिता की जरूरत है ताकि उनका आकार, गहराई एवं चलनिधि बढ़ सके। सहभागिता को आर्थिक

सहायता एवं सब्सिडी से नहीं बढ़ाया जा सकता बल्कि सहायक ढांचे के सृजन से बढ़ेगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, संविदा प्रवर्तन होगा तथा बाजार के सहभागियों की गलत परंपराओं से सुरक्षा की जा सकेगी। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सहायक ढांचे की लागत कम की जा सकेगी और उससे अब तक वंचित आबादी को वित्तीय परिधि में लाया जा सकेगा। यही आईडियाज हैं जो हमारी मध्यावधि सुधार रणनीति का मार्गदर्शन करेंगी। अब मैं कुछ खास मुद्दों पर बात करूंगा।

स्पर्धा को बढ़ावा देना

सतत रूप से वहनीय विकास को हासिल करने के लिए हमें और अधिक स्पर्धा की जरूरत है, खासतौर नये प्रवेश करने वाले लोगों से जो हमारी अर्थव्यवस्था के अबतक वंचित हिस्सों तक बेहतर तरीके से पहुँच सकते हैं। एक दशक से अधिक समय में कोई नया प्रवेश नहीं हुआ था, उसके बाद पिछले वर्ष दो नये बैंकों ने प्रवेश किया और कई भुगतान बैंक एवं लघुवित्त बैंक इस वर्ष प्रवेश करेंगे। हम शीघ्र ही आवश्यकता आधार पर (आन टैप) युनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस प्रदान करेंगे।

पहले से कार्यरत बैंकों ने अनुचित प्रतिस्पर्धा का भय जाहिर किया है। स्पर्धा केवल तभी अनुचित होती है जो समान स्तर पर नहीं खेली जाती है। वस्तुतः नये प्रवेश करने वालों को ऐसा कोई खास अधिकार नहीं होता है जो पहले से मौजूद बैंकों को न हो। हमें नये प्रवेश करने वालों से उम्मीद है कि वे ग्राहकों को कम कीमत पर नवोन्मेषी तरीके से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और बैंकिंग क्षेत्र को हिला देंगे एवं उसमें बेहतर बदलाव लाएंगे। भुगतान बैंक किओस्क, डाकघर, या कारोबार-प्रतिनिधि ऐसे माध्यम होंगे जिनके माध्यम से दर-दराज में रहने वाले ग्रामीण लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ सकेंगे। लघुवित्त बैंक को कम लागत लगेगी और उनकी निगरानी प्रणाली इस प्रकार की होगी कि शहरी तथा ग्रामीण फर्मों को उधार कम लागत पर मिल सकेगा।

जाहिर है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उन्हें भी स्वयं को रूपांतरित करना होगा क्योंकि नये प्रवेश करने वाले बैंक अपने ग्राहकों के पीछे होंगे। यह कोई गलत बात नहीं है क्योंकि अब तक इन ग्राहकों के पास सीमित विकल्प होते थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वयं को और भी आटोमेट करना पड़ेगा ताकि वे लेनदेन की लागत कम कर सकें, प्रशासनिक ओवरहेड्स में

कटौती हो और ग्राहकों को उत्तर देने की प्रक्रिया और भी बेहतर बने, साथ ही अपने जोखिम मूल्यांकन एवं निगरानी प्रणाली में सुधार लाएं जिससे कि वर्षों से जो सूचना संपदा उनके पास हैं उनका इस्तेमाल बेहतर निर्णय लेने के लिए कर सकें। इस प्रकार के बदलाव के लिए निश्चित रूप से उन्हें बाजार के वेतन की दर पर लोगों को लेना पड़ेगा, साथ ही कुशल ऋण-प्रज्ञ अधिकारी, जोखिम-प्रज्ञ अधिकारी, फोरेसिक अकाउंटेंट, आईटी पेशेवर, वकील और मानव संसाधन प्रोफेशनल भी लेने पड़ेंगे। जहां सरकारी क्षेत्र के बैंक बाजार के वेतन की दर पर ठेकेपर सेवाएं ले सकते हैं वहीं यह भी देखना होगा कि क्या वे बैंक के भीतर कैरियर-उन्नयन के अवसरों का वादा किए बिना पेशेवरों को आकर्षित कर पाएंगे।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को और भी पेशेवराना बोर्डों की जरूरत होगी जो उनके लिए अलग प्रकार की रणनीति तैयार कर सकें। बैंक बोर्ड ब्यूरो शीघ्र ही कार्य करना प्रारंभ कर देगा जो बोर्ड के सदस्यों का चयन करेगा। हमें यदि अच्छी प्रतिभा लानी है तो बाजार दर पर उन्हें मुआवजा देना होगा - अन्यथा हमें इस बात का जोखिम होगा कि ऐसे शातिर लोग आ जाएं जो सच्चे देशभक्त भी हों और वस्तुतः अनैतिक भी हों जो बोर्ड में अपनी हैसियत के अनुसार लाभ कमाने का इरादा रखेंगे। यदि बोर्ड के गलत निर्णय से हम हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर कर सकते हैं तो क्या यह सुनिश्चित करना बेहतर नहीं होगा कि बैंक के बोर्ड में पर्याप्त निष्ठा एवं प्रतिभा के लोग उपलब्ध हों।

एक बार पूरी तरह पेशेवर हो जाने के बाद सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों को अधिक निर्णय शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, क्या बोर्ड को रणनीति बनाने या अपने कार्यपालकों की नियुक्ति करने या उसका नवीकरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? उनके कार्यपालक निदेशकों के बारे में क्या? क्या बैंक के बोर्डों को इनका चयन करने के लिए अधिक आजादी होगी? क्या बोर्डों को इस बात की आजादी होगी कि वे अपने वरिष्ठ कार्यपालकों के मुआवजा ढांचे एवं निष्पादन उपायों का निर्धारण कर सकें, साथ ही दीर्घकालिक स्टॉक ऑप्शंस का निर्णय लेने में? यदि हम इस चिंता को दूर करना चाहते हैं कि अनेक सरकारी क्षेत्र के बैंक एक जैसी रणनीति अपना रहे हैं और एक से पैसे के लिए स्पर्धा कर रहे हैं तो हमें उनके बोर्डों को अधिक आजादी देनी होगी ताकि वे अपने-अपने बैंकों को अलग रख सकें।

अंततः जैसे ही बैंक का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय की समस्या समाप्त हो जाएगी। हां, यह भी जरूरी है कि कुछ बैंकों को उनके संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए उनका विलय किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में बैंक के विलय की बात करना, जिसके लिए प्रबंधन का ध्यान अत्यधिक आकर्षित करने की जरूरत होती है, खासतौर से तब जब प्रत्येक बैंक का प्रबंधन अपनी दबावग्रस्त आस्तियों के लिए समाधान ढूंढ रहा हो, उस समय संभवतः यह अपरिपक्व बात होगी। वहीं पर कुछ बैंकों को अभिशासन संबंधी सहायता से उनकी वर्तमान समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। क्या यह सही अवसर है कि कुशल वित्तीय फर्मों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में रणनीतिक निवेशकों के रूप में दाखिल किया जाए, शायद 10 या 15 प्रतिशत की हितधारिका के साथ? निश्चित रूप से यही समय है, चीन जैसे राष्ट्र का अनुभव यह रहा है कि इस प्रकार के निवेशकों को शामिल करना उनके अध्ययन के लिए सार्थक रहा है।

प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष

रेगुलेटर्स स्वाभाविक रूप से काफी दकियानूस होते हैं। ये तो अच्छा है कि हम ऐसे हैं अन्यथा अर्थव्यवस्था का समस्या में चले जाने का गतिरोधक न होता। लेकिन हमें नवोन्मेष के रास्ते में नहीं आना है। एक चीनी कहावत है कि : 'नदी पार करते हुए पत्थरों का एहसास करो'। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रयोग और क्रमिक उदारीकरण का मार्ग अपनाया है। उदाहरण के लिए नवोन्मेषी नई सेवाओं की यह अपेक्षा है कि उनके ग्राहकों में तेजी से भुगतान करने की क्षमता हो, इसलिए हमने बिना दो-फैक्टर सत्यापन के कम मूल्य के कार्ड भुगतान की अनुमति दी है। जैसे-जैसे हमें और वित्तीय संस्थाओं को अनुभव प्राप्त होगा और नई प्रौद्योगिकी में सुरक्षा स्थापित हो जाएगी, तब हम और उदारीकरण की ओर जा सकते हैं। और स्पष्ट रूप से कहें तो हमारा दर्शन यह है कि संस्थाओं में, लिखतों में तथा व्यवहार में नवोन्मेष को लाने की अनुमति दें जब तक कि उससे वर्तमान में कोई स्पष्ट खतरा न हो। एक बार हम उन्हें अच्छी तरह समझ लें, और उन्हें उचित आकार तक बढ़ने दें, उसके बाद हम उनका गहन विश्लेषण करेंगे कि उनको किस प्रकार रेगुलेट किया जाए।

कई प्रकार के नवोन्मेषी ढांचों को शीघ्र ही कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। शीघ्र ही एनपीसीआई यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ लाइव तरीके से कार्य करेगा जो एक बार पूरी तरह से जम जाने के बाद कोई भी किसी को बैंक खाते से मोबाइल और खास ई-मेल जैसे एड्रेस से भुगतान कर सकेगा। छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार

प्राप्य एक्सचेंज वरदान सिद्ध होगा। जरूरी है कि यदि किसी कारोबार के पास एक बड़ी फर्म की ओर से प्राप्य है, वह उसे एक्सचेंज पर बिल के रूप में बेच सकता है, जब बड़ी फर्म यह सूचित कर दे कि उसने माल की आपूर्ति कर दी है। इससे न केवल छोटी फर्मों को भुगतान तेजी से प्राप्त हो सकेगा, बल्कि खरीदार उस बिल को उस रेट से डिस्काउंट कर सकेगा जो बड़ी फर्म का रेट था, और इस प्रकार से छोटी फर्म को अधिक भुगतान कर सकेगा। महत्वपूर्ण यह है कि जिन तीन व्यापार प्राप्य एक्सचेंजों को लाइसेंस दिया गया है उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा यदि सरकारी क्षेत्र की फर्मों और सरकारी विभाग अपने प्राप्यों का उन एक्सचेंजों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेंगे। इससे इन संस्थाओं में समय पर भुगतान करने का अनुशासन पैदा होगा, जो प्रणाली के लिए बड़ा वरदान सिद्ध होगा।

एक अन्य प्रौद्योगिकीगत विकास देखने लायक यह है कि इंटरनेट मार्केट स्थान और वित्तीय फर्मों के बीच गठबंधन। बिक्री की निगरानी से प्राप्त सूचना तथा आनलाइन मर्चेन्ट का नकदी प्रवाह उसे ऋण देने एवं पैसे की वसूली का आधार बन सकता है। मैं विशेष रूप से श्रीनगर के गलीचा विक्रेताओं ने जो संभावनाएं कर दिखाई हैं उससे बहुत प्रभावित हूं, जो अपने सामान पूरे विश्व में प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें ऐसे बाजार हैं जो मार्केटिंग की व्यवस्था, लाजिस्टिक तथा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं।

वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री की जनधन योजना से अधिकांश वंचित आबादी के खाते बन गए हैं। सरकार ने अगले कदम के रूप में इन खातों से कई वित्तीय सेवाएं जोड़ने का काम करना चाहती है जैसे दुर्घटना एवं जीवनबीमा, तथा इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन एवं सब्सिडी को सीधे ही जमा करना। हमने बैंक खातों तक पहुंच को आसान बना दिया है, कारोबारी-प्रतिनिधि, भुगतान-बैंक तथा प्वाइंट-आफ-सेल मशीनों की सहायता से ताकि उनका खूब प्रयोग हो। गृहस्थों के लिए आसानी से भुगतान करना, पैसा निकालने व पैसा डालने की सुविधा मुहैया कराना, तथा सुरक्षित बचत के लिखतों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने का हमारा वित्तीय समावेशन का अगला कदम होगा।

जब ऋण की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने लगेगी तब हम उन लोगों को उधार देने का जोखिम उठाएंगे जो धन के प्रबंधन की योग्यता नहीं रखते हैं और उनपर अधिक बोझ डाला जाएगा। उन्हें प्रथमतः बचत तथा भुगतान के माध्यम से औपचारिक प्रणाली में लाने के बाद बीमा में लाया जाएगा, हम उन्हें ऋण लेने की ओर

आकर्षित करने से पहले पैसे का प्रबंधन करने की आदत डालेंगे। यही सफल तरीका है जो हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनाया है और यही तरीका हमें व्यापक रूप से अपनाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि हमें कई प्रकार की ऐसे फर्मों और एनजीओ चाहिए जो छोटे कारोबार की मदद कर सकें और प्रबंधन की सलाह दे सकें ताकि वे फल-फूल सकें।

प्रौद्योगिकी भी लेनदेन की लागत को कम करने में मददगार हो सकती है। हमारे पास एक इंटरनेट पोर्टल (विद्यालक्ष्मी) है जिसपर विद्यार्थी शिक्षा हेतु ऋण के लिए अनेक बैंकों के पास आवेदन कर सकते हैं। हम इसी प्रकार का पोर्टल एमएसएमई के लिए भी तलाश रहे हैं जहां वे आसानी से आवेदन कर सकें जहां हम यह निगरानी रख सकें कि उनके ऋण के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई की जाती है।

उधार के इन मामलों में हमें संपाश्विक के मामले को हल करना है। उधार की रकम तभी आसानी से निकलती है जब उधारदाता को यह मालूम हो जाए कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा, इस तरह ऋण की आसान उपलब्धता से चूक की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, साथ ही संपाश्विक के भी चले जाने की संभावना रहती है। प्रत्येक उधारकर्ता को आधार प्रदान किया गया है कि वे संभवतः उसका इस्तेमाल भविष्य में ऋण लेते समय संपाश्विक के रूप में कर सकें। मुझे आशा है कि इसके शीघ्र इस्तेमाल के बारे में छापे बादल को उच्चतम न्यायालय छोट देगा। लेकिन उधार लेने पर अन्य भौतिक संपाश्विक देने की भी स्थितियां मौजूद हैं जहां उधारकर्ता अपने ऋण लेने की लागत को कम कर सकता है और ऋण तक पहुंच बढ़ा सकता है। हमें इस अधिदेश की पुनः समीक्षा करने की जरूरत है कि कुछ खंडों में क्या बैंकों को बिना संपाश्विक के उधार देना चाहिए। हालांकि इसके पीछे इरादा नेक है, लेकिन इसके नतीजे यह होते हैं कि बैंक कई बार संपाश्विक उपलब्ध होने पर भी उधार देने से डरते हैं और यह सोचते हैं कि उधारकर्ता काफी जोखिम वाला है इसलिए उधार न दिया जाए।

इसे और भी सामान्य रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि वंचित लोगों को उधार प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लेनदेन की लागत कम की जाए, उधारकर्ता को दी जाने वाली जानकारी एवं वसूली करने की संरचना को बेहतर बनाया जाए और ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जिनकी लागतें कम हों और उधारकर्ता वर्तमान संस्थाओं की तुलना में उन तक पहुंचने में सहजता महसूस कर सकें। इसके लिए हमें क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो, संपाश्विक रजिस्ट्रीज तथा ऋण वसूली न्यायाधिरणों के ढांचे तथा कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की

आवश्यकता है। शायद संपाश्विक मूल्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि है। हमें पूरे देश में बेहतर डिजिटल मैपिंग तथा जमीन के स्वामित्व का स्पष्ट अभिलेख चाहिए ताकि भूमि का संपाश्विक के रूप में अधिक कुशलता के साथ इस्तेमाल किया जा सके। आंध्र प्रदेश का किसानों के लिए पट्टा प्रणाली भी एक नवोन्मेषी कार्य है जो किसानों को ऋण लेने में सहायता करेगा।

उपभोक्ता संरक्षण और साक्षरता

अंतिम बात यह है कि नये आने वालों और बाहरी लोगों को अनुचित प्रथाओं के प्रति संरक्षण की जरूरत है। इसका एक उदाहरण यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के परामर्श से एक उपभोक्ता अधिकार चार्टर तैयार किया है। बैंकों के बोर्डों से कहा गया है कि वे उन अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उस प्रकार का ढांचा लागू करें, साथ ही आंतरिक रूप से बैंकिंग लोकपाल कार्यालय भी स्थापित करें। शीघ्र ही लगभग एक वर्ष के भीतर ये ढांचे कार्य करने लगेंगे। इन प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक उनमें से सर्वोत्तम प्रथा और यहां तक कि रेगुलेशन पर विचार करेगा। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे गुप्त फील्ड दौरे को विस्तार दिया जाएगा ताकि यह जांच हो सके कि शाखाओं और एटीएम में मिस-सेलिंग तो नहीं हो रही है और बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। हम राज्य स्तरीय समन्वयन समिति के माध्यम से राज्य कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों के साथ भी कार्य कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि वे वास्तव में नुकसान कर दें, ऐसे परिचालकों को पकड़ लिया जाए जो पैसा लेकर रातों-रात भाग जाते हैं।

जैसे-जैसे वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ेगी हमें जरूरत होगी कि ग्राहक स्वयं की रक्षा कर सकें। आप में से कई लोगों को इस आशय का मेल प्राप्त हुआ होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएमएफ या ब्रिटेन सरकार के साथ एक करार किया है कि 16वीं सदी में बहुत पुराने पानी के जहाज में सोना प्राप्त हुआ है जिसे बेच कर उससे प्राप्त होने वाले पैसे को आप जैसे नागरिकों को दिया जाए। इसके बदले में वे आपसे 20,000 रुपये की छोटी सी राशि मांगते हैं, इस प्रकार के मेल आते रहते हैं। मुझे आपके खाते में 50 लाख रुपए अंतरित करने में खुशी होगी। यह सोचे बिना कि जब आपका 50 लाख रुपये मेरे पास है तो 20,000 रुपये क्यों चाहिए, और आप में से कुछ लोग लापता खाते में 20,000 रुपये भेज देते हैं। मेरे कार्यालय में आपके ऐसे अनगिनत फोन आते हैं जब आपके खाते में 50 लाख रुपए नहीं दिखाई देते

हैं। सच्चाई यह है कि हम सब भोले-भाले लोग हैं - रिज़र्व बैंक ने चाहे जितनी चेतावनी दी हो कि रिज़र्व बैंक को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। वित्तीय साक्षरता का प्रमुख सिद्धांत यह है कि “मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है”। वित्तीय निवेश के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि “जोखिम के बिना कोई प्रतिफल नहीं है” हमें इन दोनों बातों को प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में अंकित कर देनी है और हम इसके लिए अभियान चलाएंगे।

समापन

मैंने कुछ ऐसे तरीकों की बात की है जिसके द्वारा हम वित्तीय प्रणाली को कायम रखने योग्य विकास की ओर ले जाएंगे और उसका आधार समष्टि-आर्थिक स्थिरता होगी। निःसंदेह, केवल

वित्त ही विकास को आगे बढ़ा सकता है, वास्तविक अर्थव्यवस्था ही विकास का इंजन है, जिसमें सरकार द्वारा किए जा रहे संरचनागत सुधार विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं।

81 वर्ष के अपने इतिहास काल में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ ने एक गतिमान, वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को पूरा कर दिखाया है। हम न कहने में कभी नहीं झिझकते हैं जब हमारी प्रणाली की स्थिरता दांव पर लगी हो, लेकिन वहीं पर हमने उदार दृष्टिकोण अपनाया है जहां आवश्यकता पड़ी है। श्री सी.डी. देशमुख जैसे हमारे पूर्व नेतृत्व ने जो परंपरा डाली है उसी का अनुकरण करते हुए हम भारत को आगे ले जाने में लगे रहेंगे। मुझे इस व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।